सामुदायिक उपचार आदेश के अधीन होने के दौरान आपके अधिकारों की सूचना

यदि इस पुस्तिका, या आपके उपचार को समझने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया किसी भी समय स्टाफ से निवेदन करें।

सामुदायिक उपचार आदेश क्या होता है?

सामुदायिक उपचार आदेश मानसिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को उस समय उपचार दिए जाने का एक कानूनी माध्यम है जब वे उपचार के लिए सहमत होने में सक्षम न हों और जब सम्भवत: वे सुरक्षित न हों।

सामुदायिक उपचार आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब इस बात को सुनिश्चित करने के कम प्रतिबंधात्मक तरीके उपलब्ध न हों कि व्यक्ति को उचित उपचार प्राप्त होता है।

यदि मैं सामुदायिक उपचार आदेश के अधीन हूँ, तो इसका क्या अर्थ है?

यदि आप सामुदायिक उपचार आदेश के अधीन हैं, तो आपके लिए नियमित अंतराल पर एक विशिष्ट स्थान पर अपने मानसिक रोग का उपचार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

आपके पास विस्तृत प्रकार के उपचारों की उपलब्धता होगी, जो इस बारे में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रमाण पर आधारित होते हैं कि आपके मानसिक रोग के लिए सबसे प्रभावी उपचार कौन सा है? उपचार में टॉक थेरेपी, दवा का प्रयोग और अन्य व्यवधान शामिल हो सकते हैं।

उपचार प्रशिक्षित स्वास्थ्य व्यवसायियों द्वारा प्रदान किया जाता है जैसे कि डॉक्टर, नर्स, व्यावसायिक चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोविज्ञानी। ये व्यवसायी आपके साथ कार्य करेंगे ताकि आप पहले से स्वस्थ हो सकें। आप किसी भी समय आपकी सहायता करने वाले व्यवसायियों के साथ अपने उपचार के बारे में विचार-विमर्श कर सकते/सकती हैं।

यदि अपने सामुदायिक उपचार आदेश की शर्तों की पालना करने में आप असक्षम हैं, और/या आपके मानसिक रोग में सुधार नहीं होता है, तो एक इनपेशेंट उपचार आदेश (Inpatient Treatment Order) के लिए आपका मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आपको किसी समयावधि के लिए अस्पताल में रहना पड़ सकता है।

16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे

यदि आपकी आयु 16 वर्ष से कम है, तो आपके माता-पिता या संरक्षक आपकी ओर से सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

जब मैं सामुदायिक उपचार आदेश के अधीन होता/होती हूँ, तो मेरे क्या अधिकार हैं?

आपको और आपके सहायक व्यक्ति (यदि उचित हो तो) को जितनी जल्दी सम्भव होगा, आपके आदेश और अधिकारों के विवरण की प्रति प्राप्त होगी।

उपचार दल के द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर, कोई व्यक्ति जाँच और उपचार के दौरान आपकी सहायता कर सकता है। यह सहायक व्यक्ति (support person) कोई अभिभावक, मैडिकल एजेंट, रिश्तेदार, देखरेख करने वाला, मित्र या कोई स्वयंसेवी या व्यवसायी सलाहकार हो सकता है।

आपकी चिकित्सा और देखरेख का प्रबंध बहाली पर केंद्रित उपचार और देखभाल की एक योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना को तैयार करने और इसकी समीक्षा करने में आपको और आपके सहायक व्यक्ति (यदि उचित हो तो) को जितना सम्भव हो पाएगा, शामिल किया जाएगा।

यदि आपको अँग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करने में समस्याएँ पेश आती हैं तो आपकी सहायता करने के लिए आप एक दुभाषिए का प्रयोग कर सकते/सकती हैं।

आपके रोग निदान और उपचार के विकल्पों के बारे में आप किसी दूसरे मनोरोग चिकित्सक से सलाह ले सकते/सकती हैं।

यदि आपके उपचार को लेकर आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आप अपने उपचार दल से बात कर सकते/सकती हैं। यदि आप इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हैं कि आपकी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है, तो आप एक औपचारिक शिकायत कर सकते/सकती हैं। इस पुस्तिका में उन सेवाओं के फोन नंबर दिए गए हैं जो सम्भवत: आपके लिए सहायक हो सकती हैं।

संरक्षकता बोर्ड (Guardianship Board) को अपने मामले की जाँच करने का निवेदन करके आप आदेश के खिलाफ अपील कर सकते/सकती हैं। दूसरे लोग भी आपकी ओर से अपील कर सकते/सकती हैं, इनमें आपका सहायक व्यक्ति या पक्षसमर्थक शामिल हो सकता है। आप संरक्षकता बोर्ड से निवेदन कर सकते/सकती हैं कि जब तक आपका आदेश अपील के अधीन है, तब तक वे इसमें बदलाव कर दें।

यदि आप अपील करना चाहते/चाहती हैं, तो इस बारे में जानकारी के लिए अपने उपचार दल से निवेदन करें कि इस कार्य को किस प्रकार शुरू करना चाहिए। अपील प्रक्रिया के दौरान, आप अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व कर सकते/सकती हैं या कोई सहायक व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व कर सकता/सकती है, आप कोई वकील कर सकते/सकती हैं या स्वास्थ्य एवं वयोवृद्ध विभाग (Department of Health and Ageing) की ओर से आपके लिए किसी वकील का खर्चा उठाया जा सकता है।

आपको और आपके सहायक व्यक्ति (यदि उचित हो तो) को जितनी जल्दी सम्भव होगा, संरक्षकता बोर्ड की ओर से किसी आदेश या निर्णय की प्रतियां मिलेंगी।

आपकी सूचना गोपनीय है परंतु यदि कानूनी तौर पर, सेवाओं के वितरण के लिए या फिर सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक हो तो इसका खुलासा किया जा सकता है। यदि आपके निरंतर उपचार और देखरेख के लिए समुचित रूप से ऐसा करना आवश्यक हो और यह आपके श्रेष्ठ हितों के लिए हो, तो सूचना को अन्य संस्थाओं, या किसी रिश्तेदार, देखरेखकर्ता या मित्र के साथ भी साझा किया जा सकता है।

पक्षसमर्थन (Advocacy)

समय-समय पर आपको या आपके परिवार को मानसिक स्वास्थ्य तंत्र को समझने में सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।

पीयर वर्कर (Peer Worker)
उपचार केंद्र पर पीयर वर्कर या पीयर विशेषज्ञ मौजूद हो सकते हैं जो कि आपकी सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया स्टाफ से निवेदन करें। देखभाल करने वालों और परिवारों की मदद करने के लिए एक देखरेखकर्ता सलाहकार (Carer Consultant) भी उपलब्ध हो सकता है।

सरकारी सलाहकार का कार्यालय (The Office of the Public Advocate) एक स्वतंत्र संस्था है जो मानसिक अक्षमता से ग्रस्त लोगों को सलाह देती है, उनकी सहायता और उनका पक्षसमर्थन करती है।
दूरभाष: 08 8342 8200 टोल फ्री: 1800 066 969

साउथ ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता पक्षसमर्थन एवं शिकायत सेवा (The Disability Advocacy and Complaints Service of South Australia) एक गैर-सरकारी संस्था है जो किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त लोगों का पक्षसमर्थन और उनकी ओर से शिकायत दर्ज करने में उनकी सहायता करती है।
दूरभाष: 08 8297 3500 कंट्री टोल फ्री: 1800 088 325

MALSSA एक गैर-सरकारी संस्था है जो कि मानसिक स्वास्थ्य तंत्र के उपभोक्ताओं का पक्षसमर्थन करती है, विशेषकर उन उपभोक्ताओं का जो अँग्रेज़ी न बोलने वाली और सांस्कृतिक व भाषाई तौर पर भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित होते हैं।
दूरभाष: 08 8351 9500

भाषा के साथ सहायता

दुभाषिया व अनुवाद केंद्र (Interpreting and Translating Centre)
दूरभाष: 08 8226 1990

अनुवाद व दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service)
दूरभाष: 131 450 (राष्ट्रीय)

नेशनल रिले सेवा (National Relay Service)
सुनने और बोलने संबंधी समस्याओं के लिए।
दूरभाष: 133 677 टोल फ्री: 1800 555 677

शिकायतें (Complaints)

उपचार केंद्रों (Treatment Centres) पर वो अधिकारी मौजूद होते हैं जो पूछताछ और शिकायतों में मदद कर सकते हैं। स्टाफ से निवेदन करें कि वे सही व्यक्ति से संपर्क करने में आपकी मदद करें।

मुख्य मनोरोग चिकित्सक (The Chief Psychiatrist) सुरक्षित और प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करता है।
दूरभाष: 08 8226 1091

स्वास्थ्य व सामुदायिक सेवाओं संबंधी शिकायतों का आयुक्त (The Health and Community Services Complaints Commissioner) शिकायतों को हल करने में मदद करता है।
दूरभाष: 08 8226 8666
टोल फ्री: 1800 232 007

© Department of Health and Ageing, Government of South Australia. All rights reserved. Printed June 2012

Government of South Australia
SA Health

अधिकारों का विवरण

Community Treatment Orders

(सामुदायिक उपचार आदेश)

मुख्य मनोरोग चिकित्सक का कार्यालय

HINDI

Government of South Australia
SA Health